Embezzlement of Medicines, furniture and equipment of C.G.H.S. Dispensary, Meerut

2788. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether embezzlement of medicines, furniture and equipment worth about 50 thousand rupees was discovered by the Directorate General of Health Services a few years back during the establishment of CGHS Dispensary at Meerut;

(b) whether the case was processed by the vigilance department of the Directorate General of Health Services for some time but the matter was hushed up during the emergency due to some political influence of the persons involved; and

(c) if so, the facts of the case and whether Government propose to entrust this case to an impartial agency like the C.B.I. for fuller investigations and take action against the persons involved?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों की मांग

2789. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कुछ देशों ने भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाओं की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और वे देश कौन से हैं जहां भारतीय विशेषज्ञ भेजे गए हैं तथा वे किन सेवा शर्तों पर और कितनी अवधि के लिए भेजे गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी): (क) और (ख). भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ विश्व के बहुत से देशों में कार्य कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में बहुत से विकासशील देशों ने उनकी सेवाओं की मांग की है। इन विकासशील देशों के नाम है—अल्जीरिया, लीबिया, सूडान, सोमालिया, यमन लोक जन गणराज्य, यमन अरब गणराज्य, जोर्डन, सीरिया, ईराक, कुवैत, बहरीन, कतार, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान, श्री लंका, मालदीव, बर्मा, मारीशस, मलेशिया, वियतनाम, लाओस फिजी, टोंगा, सिंगापुर, बारबाडोस, जमाइका, क्यूबा, गुयाना, नाईजीरिया, घना, सेनेगल, अपर वोल्टा, सियरा लियोन, जाईर, लाईबेरिया तंजानिया, जाम्बिया, कीनिया, इथोपिया, उगांडा, वोत्सवाना, मोजाम्बिक, लेसोथो, नेपाल, भूटान, माल्टा और इंडोनेशिया। इन देशों में हमारे विशेषज्ञ या तो पहले ही भेज दिये गये हैं अथवा भेजे जाने वाले हैं। उनकी सेवा शर्तें उनकी योग्यता और अनुभव पर तथा उन कार्यक्रमों पर जैसे कि भारतीय तकनीकी सहयोग कार्यक्रम, कोलम्बो योजना, प्रत्यक्ष अनुबंध सेवा आदि—जिनके अंतर्गत उनकी सेवाओं का लाभ प्राप्त किया जाता है, निर्भर करती है। सामान्यतः इन सेवा शर्तों में—संबद्ध देश में रहन सहन के खर्च को ध्यान में रखा जाता है और इनमें मुफ्त सुसज्जित आवास अथवा उसके बदले में भत्ता, वापसी किराया, स्वास्थ्य सुविधाएं और बचत के लिये प्रेषण सुविधाएं आदि भी शामिल रहती हैं। तकनीकी विशेषज्ञ सामान्यतः प्रारंभ में एक से लेकर तीन वर्ष तक के लिये प्रतिनियुक्त किये जाते हैं। सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवाओं में इसकी अधिकतम अवधि, नियोजन की तारीख से साधारणतया पांच वर्ष तक बढ़ाने की अनुमति है।

उत्तर प्रदेश का भविष्य निधि आयुक्त

2790. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश भविष्य